-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ लूट के मुकदमें में वांछित 01 शातिर अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, लूट के मुकदमें से संबंधित कुल 2800/- रुपये नगद, व 01 चोरी की मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी,लूट,डकैती,नकबजनी ,छिनैती एंव गोकशी की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 03/04.09.2025 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक गंगोह द्वारा मय फोर्स गंगोह से लखनौती होते हुए करनाल जाने वाली रोड पर आलमपुर तिराहा के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी। तभी ग्राम आलमपुर की तरफ से आलमपुर तिराहा की और जाने वाले रास्ते पर **एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए** आते दिखायी दिये। संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का ईशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल मोड़ कर हड़बड़ी में ग्राम आलमपुर की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया।लगातार बारिश होने के कारण कुछ दूरी पर जाकर बदमाशो की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई व बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर खेतो की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को दाहिनें पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश अंधेरे व खेतो का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है । गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **बिलाल उर्फ बिल्ला पुत्र दिलशाद निवासी मौ मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर** के रुप में हुई । घायल बदमाश को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । गिरफ्तार बदमाश थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 287/25 धारा 309(4)/317(2)/61 बीएनएस व मु0अ0सं0 298/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित चल रहा था । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर **मु0अ0सं0 370/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट** के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल उर्फ बिल्ला उपरोक्त ने बताया कि मैंने, मेरे भाई व अन्य साथियो के साथ मिलकर तसव्वर उर्फ बूढा पुत्र इमरान नि0 ग्राम बाड़ी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के घर पर लूट करने की योजना बनाई थी तथा उसके भाई ने ही हमे अस्लाह उपलब्ध कराये थे तथा हम सभी नें मिलकर ग्राम सांतौर से शीतलपुर जाने वाले रास्ते पर दिनांक 28.07.2025 की दोपहर को एक मोटरसाइकिल पर जा रहे फाइनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों के साथ लूट की थी, लूट के बाद यहाँ से हम सभी लोग बाहर जाने की फिराक में थे, परन्तु कुछ दिनो पहले मेरे चार साथी जो इस लूट में शामिल थे पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और जेल भेज दिया और जिस कारण हम लोगो को दूसरी कोई घटना करने का मौका नही मिला था । मैं भी पुलिस से छिपता छिपाता फिर रहा था रात पुलिस ने मुझे पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बिलाल उर्फ बिल्ला पुत्र दिलशाद निवासी मौ मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल (मु0अ0सं0 298/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस)
- लूटे गये 2800/- रुपये। (मु0अ0सं0 287/25 धारा 309(4)/317(2)/61 बीएनएस)

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 01/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 287/25 धारा 309(4)/317(2)/61 बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 298/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 370/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर
3. हे0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर
4. हे0का0 1013 राहुल तोमर थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर
5. हे0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर
6. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर
7. का0 688 प्रवीण कुमार थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर
8. का0 1929 जब्बाद थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर
9. का0 336 आमीन थाना गंगोह जनपद सरहारनपुर

दिनांक: 04.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

सहारनपुर पुलिस द्वारा श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ, जोन मेरठ महोदय के निर्देशन में विशेष अभियान चलाकर कुल 125 N.B.W/वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ के निर्देशन में वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है,** जिसके अनुपालन में पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण के निकट पर्यवेक्षण में तथा जनपद सहारनपुर के समस्त थाना प्रभारियों के कुशल नेतत्व में प्रत्येक थाना पुलिस टीमों द्वारा **आज दिनांक 04.09.2025 को वारण्टियों के विरुद्ध विशेष अभियान** के तहत NBW वारंटियों के निवास स्थानों/सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर **जनपद सहारनपुर से कुल 125 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया। समस्त गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध थानावार अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

क्रम सं0	थाना	गिर0 वारंटियों की सं0	क्रम सं0	थाना	गिर0 वारंटियों की सं0
1	कोतवाली नगर	02	12	नकुड़	14
2	मण्डी	03	13	सरसावा	05
3	कुतुबशेर	02	14	रामपुर मनिहारान	03
4	सदर बाजार	03	15	बेहट	16
5	कोतवाली देहात	10	16	बिहारीगढ़	04
6	जनकपुरी	03	17	मिर्जापुर	02
7	गागलहेड़ी	11	18	गंगोह	18
8	फतेहपुर	06	19	नानौता	04
9	चिलकाना	06	20	महिला थाना	03
10	देवबंद	07			
11	नागल	03		**योग**	**125**

दिनांक - 04.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा माल निस्तारण के अनुपालन में अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत माल मुकदमाती कुल 66 कामर्शियल/घरेलू गैस सिलेण्डरों का माननीय न्यायालय के आदेश से निस्तारण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" के तहत पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल नेतृत्व में एवं श्री सुबोध कुमार उप जिलाधिकारी सदर सहारनपुर के आदेश दिनांक 03.09.2025 के अनुपालन में तथा जिलापूर्ति अधिकारी सहारनपुर के आदेश 04.09.2025 के क्रम में एवं प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी श्री संजीव कुमार व हेड मोहर्रिर विशाल मलिक की मौजूदगी में माल मुकदमाती कुल 66 गैस सिलेण्डरों को दीपशिखा गैस ऐजन्सी बजोरिया रोड के सुपुर्द कर नियमानुसार माल निस्तारण कराया गया।

निस्तारित माल का विवरण:-

- 66 अदद कामर्शियल/घरेलू गैस सिलेण्डर

दिनांक:04.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस व कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान सरकारी यूरिया खाद की कालाबाजारी करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिकअप मे 82 बोरी यूरिया खाद बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी को रोकने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक चिलकाना के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस व कृषि विभाग की सयुंक्त टीम द्वारा दिनांक 02.09.2025 बेहट शाहजहापुर मार्ग पर चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक गाडी पिकअप UP11-DT-6417 को चैक किया गया तो उसमे 82 बोरी यूरिया उर्वरक KRIBHCO FERTILIZERS LIMITED कम्पनी की भरी थी जिसको **चालक मेहरबान पुत्र शरीफ निवासी नौगावा थाना मिर्जापुर**, सहारनपुर चला रहा था जिसे वह भरकर कालाबाजारी के लिए ले जा रहा था। विस्तृत पूछताछ/जाँच मे उपरोक्त पिकअप के चालक मेहरबान उपरोक्त व उसके तीन अन्य सहअभियुक्तो के विरूद्ध श्रीमान जिलाधिकारी की अनुमति के पश्चात थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 218/25 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मेहरबान के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ – गिरफ्तार अभियुक्त पिकअप चालक मेहरबान पुत्र शरीफ निवासी नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि ये यूरिया उर्वरक KRIBHCO FERTILIZERS LIMITED कम्पनी की 82 बोरी मैने अपने साथियो के कहने पर ग्राम रूहालका थाना क्षेत्र बेहट से भरी थी ये बोरी शाकुम्भरी रोड स्थित खाद भण्डार से मेरे साथियो द्वारा उपरोक्त द्वारा मंगवाकर किसान सेवा केन्द्र ग्राम रूहालका मे रखवाया गया था। जिन्हे मै आज उनके कहने पर किसान सेवा केन्द्र के स्वामी के गोदाम से भरकर बेचने के लिए भरकर ले जा रहा था ये कहाँ जानी थी उनकी लोकेशन के बारे मे मुझे नही बताया गया था। इसकी लोकेशन उन्होने मुझे फोन के द्वारा बाद मे बताने वाले थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. मेहरबान पुत्र शरीफ निवासी नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 82 बोरी यूरिया उर्वरक KRIBHCO FERTILIZERS LIMITED कम्पनी
- 01 पिकअप रजि0 नं0- UP11-DT-6417

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. श्री कपिल कुमार मावी जिला कृषि अधिकारी जनपद सहारनपुर
3. श्री राजबीर सिंह वरिष्ठ प्रविधिक सहायक ग्रुप-ए कृषि विभाग जनपद सहारनपुर
4. श्री धर्मेश कुमार प्रधान सहायक कृषि विभाग जनपद सहारनपुर
5. श्री अंकित कुमार वरिष्ठ सहायक एंव सुरक्षा सहायक कृषि विभाग जनपद सहारनपुर
6. है0का0 788 धीरज कुमार कृषि विभाग जनपद सहारनपुर

दिनांक 04.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा गाडी से रूपये चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये शत-प्रतिशत 2,00,000/-रूपये बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2025 को वादी श्री सुरज कुमार पुत्र नीरज कुमार निवासी दलबीर नगर कुटानी रोड पानीपत हरियाणा द्वारा अज्ञात चोर द्वारा वादी की गाडी से 02 लाख रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 437/25 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 शातिर/अभियुक्त 1.मारूफ पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम सिरसली थाना बडगांव जनपद सहारनपुर व 2.महताब पुत्र फत्तू निवासी ग्राम खजूरवाला थाना नागल जनपद सहारनपुर** को न्यू पैरामउंट कालोनी के गेट नम्बर 03 के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से गाडी से चोरी किये गये 2,00,000/- रूपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछताछ बताया कि हम लोग रात्रि में चोरी करने के इरादे से सड़को के किनारे खड़ी गाड़ियों के आस पास घुमते रहते है। मौका मिलने पर चोरी कर लेते है। 02 दिन पहले हम दोनो ने मिलकर रात्रि में दिल्ली रोड से मवीकलां के पास आईसर कैन्टर गाड़ी से यह रूपये चोरी कर लिये थे और पुलिस से बचने के लिए यह चोरी किये 02 लाख रूपये हमने पैरामाउन्ट कालोनी के पीछे खाली स्थान पर छुपा दिये थे। और आज हम दोनो बराबर बराबर नोटो को बाँटकर शहर की तरफ की जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मारूफ पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम सिरसली थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. महताब पुत्र फत्तू निवासी ग्राम खजूरवाला थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 02 लाख रूपये नकद (अभियुक्त मारूफ से 01 लाख व अभियुक्त महताब से 01 लाख रूपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. है0का0 583 मोनू खोखर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. है0का0 587 प्रदीप कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. है0का0 77 अरुण कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. का0 1815 विशाल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांकः 04.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम तथा अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर **अभियुक्त जहाँगीर पुत्र जमशेद निवासी जैन कालोनी निकट मदीना मस्जिद खाताखेडी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** को निर्यात निगम चौकी के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0- 351/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बयान अभियुक्त- अभियुक्त जहाँगीर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि जो चाकू मेरे पास से मिला है, मैं लोगो को डराने धमकाने व रोब गालिब करने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जहाँगीर पुत्र जमशेद निवासी जैन कालोनी निकट मदीना मस्जिद खाताखेडी थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

एक अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री जगपाल सिह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 1208 बिजेन्द्र थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का0 2176 श्यामपाल थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

दिनांकः 04.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम तथा अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर **अभियुक्त शोएब उर्फ सोनू पुत्र मुनव्वर निवासी सिराज कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर** को जुलमगढ की पुलिया से पहले ही खाली पड़े ग्राउंड में ईटो के चट्टो के पीछे, चौकी खाताखेडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0- 352/2025 धारा – 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त शोएब उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने व रौब जमाने के लिये अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शोएब उर्फ सोनू पुत्र मुनव्वर निवासी सिराज कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

एक अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. का0 1627 अमित कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का0 2245 अंशु यादव थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

दिनांक- 04.09.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर वांछित नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 25.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/**अभियुक्त नदीम पुत्र नसीम निवासी नन्हेडा बक्काल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को भाऊपुर की ओर रेलवे फाटक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 25.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 317/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

नदीम पुत्र नसीम निवासी नन्हेडा बक्काल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर उम्र करीब 42

बरामदगी -

- 25.20 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास नदीम

- मु0अ0सं0 310/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 317/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-।

1. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाष चन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 2261 राजेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 04-09-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर बैंक से लोन लेकर धोखाधडी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.24 को वादी मौ0 आसिफ अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी 11/1043/165 मंडी समीति रोड लेन नं0 05 आली अहनग्रान थाना कुतुबशेर, सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 150/24 धारा 420/467/468/471/120बी/504/506 भादवि बनाम मौ0 आशिफ व 02 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, धोखाधडी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धोखाधड़ी में वांछित **अभियुक्त मंजूर हसन पुत्र जहूर हसन निवासी मौ0 काजी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मसकन से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै व मेरे भाइयों ने मिलकर वर्ष 2015 मे इन्डियन ऑबरसीज बैंक से अपने प्लाट के फर्जी काजग तैयार कर 60 लाख रुपये का लोन निकाला था उससे पहले भी मै व मेरे तीनों भाईयो ने पीएनबी बैंक से 58 लाख का लोन वर्ष 2013 ने लिया था। वह प्लाट हमने आसिफ अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी मण्डी समिति रोड लेन नं0 5 थाना कुतुबशेर सहारनपुर को बेच दिया था। बेचते समय मैं व मेरे भाईयो ने आफिस अहमद को पीएनबी बैंक से जो लोन लिया था उसी के बारे मे बताया था और वह लोन आसिफ ने लेने से पहले जमा भी कर दिया था किन्तु हम मै व मेरे भाइयों ने इन्डियन ऑबरसीज बैंक से फर्जी कागज तैयार कर 60 लाख रुपये का लोन लिया था उसके बार मे हमने आसिफ को नही बताया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

मंजूर हसन पुत्र जहूर हसन निवासी मौ0 काजी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एच0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक 04-09-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा नशा तस्करी के मुकदमें में अभियुक्त को 14 माह का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 22.06.21 को वादी उ0नि0 ज्ञानेन्द्र थाना को0नगर जनपद सहारनपुर की सूचना द्वारा अभियुक्त मोनिस पुत्र खालिद रसूल नि0 ग्राम ढोली खाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के कब्जे से 120 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 123/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1499/21 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 04.09.2025 को अभियुक्त मोनिस पुत्र खालिद रसूल नि0 ग्राम ढोली खाल थाना कु0शेर जिला स0पुर को मु0अ0स0-123/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट को दोषी पाते हुए अभियुक्त को 14 माह का सश्रम कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र
पैरोकार-है0का0 1091 हिमांशु कुमार थाना को0नगर जनपद सहारनपुर